संख्या- 6/2015 /150 ई-2/तेरह-2015-50/2007

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी,2015

विषय:- 1,00,000 ब0ली0 मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-43/नौ-अल्कोहल/देश के बाहर निर्यात(4)/भा0नि0वि0म0, दिनांक 20 जनवरी,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20 जनवरी,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजस्वहित में मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को अल्कोहल वर्ष 2014-15 में 1,00,000(एक लाख) बल्क लीटर मैच्योर्ड माल्ट स्प्रिट देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त निर्यात मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही होगा।

तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

[redacted]

मोहम्मद जुनीद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra